उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या-19/2016/1288 /अडतीस-7-2016-176नरेगा/2009

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर , 2016

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक: 07-09-2009 के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में शासन के पत्र संख्या -346/अडतीस-7-2014-176नरेगा/2009 दिनांक: 07-02-2014 द्वारा लोकपाल की तैनाती की गयी थी। शासन के पत्र संख्या -36/अडतीस-7-2016-176नरेगा/2009 दिनांक: 20-01-2016 द्वारा आवंटित जनपद हेतु श्रीमती शची दीक्षित, लोकपाल की सेवा अवधि दिनांक: 06-02-2016 से आगे 01 वर्ष के लिए(दिनांक: 05-02-2017 तक) बढाते हुए संबंधित जनपदों का लोकपाल तैनात किया जाता है:-

क्रसं0	**लोकपाल का नाम एवं पता**	**आवंटित मूल जनपद**	**मूल जनपद के अतिरिक्त रूप से आवंटित अन्य जनपदों का विवरण**
1	**2**	**3**	**4**
1	श्रीमती शची दीक्षित, ग्राम-धानापुर, पो0-भिनौनी, तह0-शिवन, सीतापुर	सीतापुर	लखीमपुरखीरी, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन

2- इस संबंध में लोकपाल की तैनाती विषयक पूर्व निर्गत आदेश दिनांक: 20-01-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

<u>संख्या- 19/2016/1288 (1)/अड्तीस -7-2016 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/ निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि लोकपाल की तैनाती हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं दिशा निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन सुनिश्चित करायें।
8. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. संबंधित लोकपाल।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।